यह निरीक्षण प्रतिवेदन ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड भीमताल (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार देहरादून, उत्तराखण्ड (लेखापरीक्षा) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड भीमताल (नैनीताल) के माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री पवन कुमार, श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/01/2018 से 23/01/2018 एवं 12/02/2018 से 19/02/2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर शर्मा एवं श्री दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 26.11.2016 से 07.12.2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
    2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा डपॉज़िट कार्य कया जाता है। जिसमे भवन बनाना तथा सड़क निर्माण करना शा मल है।
    3. (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

उपरोकतानुसार

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारं भक शेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आ ध क्य	बचत	आ ध क्य	बचत
2014-15	0.00	1625.30	348.87	314.15	1101.54	958.75	0.00	34.72	0.00	1768.09
2015-16	0.00	1768.09	364.68	355.80	1189.21	1416.29	0.00	8.87	0.00	1541.02
2016-17	0.00	1541.02	431.50	426.03	656.07	1133.12	0.00	5.47	0.00	1063.97

❖ स्थापना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बजट सम र्पत

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष`	प्राप्त `	व्यय अ धक्य(+) `	बचत(-) `
2014-15	सांसद नि ध / दैवीय आपदा / रा०माँ० श०अ भ०	152.90	402.20	534.50	26.60
2015-16	सांसद नि ध / दैवीय आपदा / रा०माँ० श०अ भ०	20.60	279.80	294.30	06.10
2016-17	सांसद नि ध / दैवीय आपदा / रा०माँ० श०अ भ०	6.10	84.40	82.20	08.30

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई का बजट अन्य राज्य सरकार के वभाग से निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त रा श से कया जाता है । इकाई अ श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. मुख्य अ भयंता 2- अधीक्षण अ भयंता 3- अ धशासी अ भयंता 4- सहायक अ भयंता 5- अवर अ भयंता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सड़क निर्माण कार्यो का निरीक्षण कया गया तथा एक मुख्य भवन (सेक्सन-२) के निर्माण से संबन्धित योजना भी देखी गई थी, का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

1. वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के समस्त सड़क निर्माण कार्य २. बड़ौन ओखलकानदा मे मुख्य भवन (सेक्सन -२) का निर्माण कार्य

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर -1 शासनादेश के वपरीत रु 11.95 लाख का कार्यादेश के माध्यम से भुगतान कया जाना।

सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत स चव उत्तराखंड शासन के पत्र सं0 28/XII-2/2015-02 (06)/2015 दिनांक 25.06.2015 के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण सड्को के निर्माण कार्य हेतु अ धशासी अ भयंताओ को रु 3.00 लाख तक की लागत के कार्यदेश पर कार्य आबंटित कए जाने तथा तात्का लकता की स्थिति मे रु 5.00 लाख तक की लागत के कार्यदेश निर्गत कए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अ भलेखो के निरीक्षण मे पाया गया क रातिघाट-बेतालघाट मोटर मार्ग से ग्राम गैरखाल तक सड़क निर्माण मे मार्च 2015 मे रु 95.98 लाख स्वीकृत कए गए थे जिसके सापेक्ष समय समय पर (मार्च 2015 से सतंबर 2017 तक) प्रखण्ड को सम्पूर्ण धनरा श अवमुक्त की गई थी। उक्त धनरा श से स्टेज के कार्यो को कराये जाने हेतु कार्यदेश के माध्यम से कार्य कराये गए थे। जिसका ववरण निम्न ल खत था:-

कार्यदेश संख्या	कार्यदेशों की धनरा श	निर्गत आपूर्ति आदेशो की धनरा श
68/20	16380.00	225252.00
70/01	140000.00	140660.00
70/02	287880.00	210606.60
70/03	187995.00	277351.50
70/04	277568.40	196340.85
68/21	359784.00	
70/05	271621.00	
70/06	464995.27	
70/07	371401.50	

कार्यदेश संख्या 68/21 के अंतर्गत रु 3.59 लाख, 70/06 के अंतर्गत रु 4.65 लाख तथा 70/07 के अंतर्गत रु 3.71 लाख का कार्यदेश निर्गत कया गया था, जो उक्त शासनादेश जिसमे रु 3.00 लाख तक के कार्य कार्यदेश के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान था, का उल्लंघन था।

इकाई से पूछने पर बताया गया की संद भत शासनादेश मे तात्का लक स्थिति मे रु 5.00 लाख तक की लागत के कार्यदेश निर्गत कए जाने का प्रावधान था। ग्रामीण सड़के मुख्य मंत्री महोदय का उच्च प्राथ मकता वाला प्रोजेक्ट था। अतः शासन के निर्देशों एवं मा0 मुख्य मंत्री की प्राथ मकताओ को अपरिहार्य स्थिति मानते हुए कुछ कार्यदेश रु 3.00 लाख से अ धक तक की लागत के निर्गत कए गए थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्यो क ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत कुछ कार्यो को उच्च प्राथ मकता वाले प्रोजेक्ट मानकर रु 3.00 लाख से अ धक के कार्यदेश निर्गत कया जाना त्रुटिपूर्ण था।

अतः शासनादेश के वपरीत रु 11.95 लाख का कार्यादेश के माध्यम से भुगतान कया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर -2 वास्त वक आवश्यकताओ को ध्यान मे न रख कर त्रुटिपूर्ण आंगणन के कारण रु 8.43 लाख का आ धक्य व्यय/भन्नता।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क रा॰ उ॰ मा॰ व॰ बड़ौन मे मुख्य भवन (सेक्शन-2) मे निम्न कार्य कए जाने थेः चार कक्षा कक्ष, वज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, शौचालय।

इन कार्यो का प्राकलन अप्रैल 2013 मे गठित कया गया तथा इन कार्यो को संपादित करने हेतु रा॰ मा॰ श॰ अ भ॰ एवं ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा नैनीताल के मध्य एम ओ यू गठित कया गया तथा प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। निर्माण हेतु भू म माह अगस्त 2014 मे उपलब्ध करा दी गई थी। तथा अप्रैल 2013 मे रु 35.41 लाख तथा सतंबर 2017 मे रु। 28.32 लाख की दूसरी कस्त अवमुक्त की गई थी। आगे यह भी पाया गया क :-

माह 12/17 के अंतिम रनिंग बिल के अनुसार 20 मदों का उपयोग कार्य मे कया गया। जिसमे 10 मदों मे अनुबं धत कार्यो से अ धक मात्रा का कार्य कया गया जिसका ववरण निमन्वत था:-

क्र0 सं0	मदों का नाम	निष्पादित कार्य की मात्रा	अनुबं धत कार्य की मात्रा	अंतर	दर	आ धक्य व्यय
1	अर्थ वर्क	242.80	193.23	49.57	194.00	9616.58
2	र सी सी वर्क	28414.07	21690.44	6723.63	68.00	457206.84
3	पी/आई र सी सी	45.65	44.03	1.62	5957.70	9651.47
4	ब्रिक वर्क 1:6	155.70	134.38	21.32	6070.00	129412.40
5	शटरिंग वर्क	611.43	370.02	241.41	264.70	63901.22
6	½ ब्रिक वर्क	43.07	27.68	15.39	739.20	11376.28
7	स्टील वर्क	1921.00	1066.45	854.55	78.90	67423.99
8	एम/एस ग्रल वर्क	629.80	447.61	182.19	99.30	18091.46
9	पी/आई र सी सी वर्क	3.28	0.62	2.66	5735.80	15257.22
10	सेटिंग और शटरिंग	670.66	476.03	194.63	311.60	60646.70
					कुल रु	**843394.16**

अनुबं धत कार्य से अ धक मात्रा मे कार्य कए जाने के संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया क मदो क मात्राओ मे भन्नता कार्यस्थल क वास्त वक आवश्यकतनुसार हुई। क्यो क नए

कार्य स्थल क मट्टी क बेयरिंग क्षमता मे भन्नता थी तथा आर सी सी तथा अन्य मदों क मात्राओ मे व्यापक भन्नता थी जिसे सक्षम अ धकारी से स्वीकृत करा लया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क यदि नए कार्य स्थल क भू म मे भन्नता थी तो आगणन को उसी अनुसार बनाया जाना चाहिए था तथा कार्य निष्पादित करवाया जाना चाहिए था।

अतः वास्त वक आवश्यकताओ को ध्यान मे न रख कर त्रुटिपूर्ण आंगणन के कारण रु 8.43 लाख का आ धक्य व्यय/भन्नता का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **-3** कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी वभागवार अवशेष रा श रु **369.27** लाख को अनिय मत रूप से प्रखण्ड मे रोके रखना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के प्रस्तर 519 (ख) के अनुसार निक्षेप कार्यो मे निर्माण कार्य क अव्ययतित अवशेष रा श को कार्य पूर्ण होने के पश्चात वभाग को सम र्पत करने के लए तत्काल कदम उठाने चाहिए । भाग iii पंजिका के निरीक्षण मे पाया गया क निम्न ल खत कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी अवशेष रा श संबन्धित वभाग को वापस नहीं क गई :-

क्रम सं	वभाग का नाम	धनरा श जिसको वापस कया जाना था।
1	स्वान न आई सी	1.86लाख
2	युवा कल्याण वभाग	4.96 लाख
3	सांसद नि ध	0.63लाख
4	पु लस वभाग	5.92लाख
5	पशुपालन वभाग	5.49लाख
6	सामुदायिक वकास योजना	16.24लाख
7	प्रशासनिक अकादमी	0.11लाख
8	रेशम वभाग	1.36लाख
9	पर्यटन वभाग	39.44लाख
10	शक्षा वभाग	67.78लाख
11	राजस्व वभाग	41.55लाख
12	स्वास्थ्य वभाग	49.97लाख
13	समाज कल्याण वभाग	18.19लाख
14	बाल वकास वभाग	0.15लाख
15	दुग्ध वभाग	2.69लाख
16	रा0मा0 श0अ भ0	76.57लाख
17	दैवीय आपदा	36.36लाख
	कुल धनरा श	**369.27** लाख

पूछे जाने पर प्रखण्ड द्वारा बताया गया क कार्य अत्यंत पुराने होने के कारण वर्तमान मे इन्हे संबन्धित वभाग को वापस कया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः इन धनरा शओ को राजस्व मे जमा कया जाना प्रस्ता वत है।

प्रखन्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क कार्य पुराने होने के पश्चात भी वत्तीय नियमो के अनुसार अवशेष धनरा शयाँ वापस की जानी चाहिए थी ।

अतः कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी वभागवार अवशेष रा श रु 369.27 लाख को अनिय मत रूप से प्रखण्ड मे रोके रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **- 4** रु 9.94 लाख का प्रकीर्ण अ ग्रम की वसूली न कया जाना

प्रखण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम वसूली के पंजिका के निरीक्षण मे पाया गया क वगत 38 वर्षो से व भन्न सरकारी कार्यालयो, ठेकेदारो एवं निजी फ़र्मों को अ ग्रम के रूप मे धनरा श रु 9.94 लाख निर्गत की गई थी। जिसका समायोजन वर्तमान तक नहीं कया गया।

पूछने पर इकाई द्वारा बताया गया क अ धकांश धनरा शयां उत्तराखंड गठन से पूर्व की होने के कारण समायोजन नहीं कया जा सका। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क यदि समायोजन नहीं हो पा रहा है तो प्रखण्ड को अ ग्रम कार्यवाही बट्टे खाते मे डालने हेतु अ ग्रम आदेश प्राप्त कर वसूली का समायोजन/निस्तारण कया जाना चाहिए था ।

अतः रु 9.94 लाख का प्रकीर्ण अ ग्रम की वसूली न कया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **-1** अदावाकृत ठेकेदारो की रा श रु 51.45 लाख को राजस्व खाते मे जमा न कया जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक आदवकृत ठेकेदारो क जमानत रा श को ठेकेदारो द्वारा मांग नहीं कए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा कर देनी चाहिए थी।

कार्यालय के निक्षेप पंजिका भाग II और iv के निरीक्षण मे पाया गया क वर्ष 1988-89 से 2013-14 तक ठेकेदारो एवं फार्मो से प्राप्त जमानती या रोकी गई रा श क्रमशः रु 23.68 लाख तथा रु *27.77* लाख अदावाकृत रा श के रूप मे पड़ी हुई है जिसको राजस्व खाते मे जमा कए जाने हेतु प्रखण्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पूछे जाने पर प्रखण्ड द्वारा बताया गया क भाग II और भाग iv मे 03 वर्षो से अ धक समय से पड़ी अदावकृत धनरा शयों को राजस्व खाते मे शीघ्र जमा कर लया जाएगा।

अतः अदावकृत ठेकेदारो की रा श रु 51.45 लाख को राजस्व खाते मे जमा न कया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0	अनिस्तारित प्रस्तरो की सं0	भाग दो (अ) प्रस्तर सं0	भाग दो (ब) प्रस्तर सं0
34/1988-89	02	1,4	--
33/1992-93	01	1	--
29/1993-94	02	1,3	--
187/1995-96	02	--	2
111/1996-97	04	1	1,2,3
04/2001-02	04	--	1,2,3,4
65/2004-05	01	1	--
84/2005-06	03	1,2,3	--
64/2010-11	01	2	--
120/2014-15	04	1	1,2,3
104/2016-17	02	--	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रकरणो क स्थिति संलग्न है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-**V**</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भीमताल नैनीताल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः
3. शून्य
4.
   (i)
   (ii)
5. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री इंद्र लाल आर्या	अ धशासी अ भयंता

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भीमताल नैनीताल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.